अति महत्वपूर्ण

संख्या-07/2025/23/सैतालीस-का-5-2025-(1838120)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : **06-02-2025**

विषयः- **मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करायें जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1/2025/614/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 17-12-2024 एवं अनुस्मारक संख्या- 18/सैतालीस-का-5-2024-(1838120), दिनांक 24.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारी / कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / उपक्रमों के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार 31.01.2025 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किये गये है। शासनादेश दिनांक 17.12.2024 में स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित समयावधि दिनांक 31.01.2025 तक अपना सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी तथा उनके द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किये जाने तक उनकी पदोन्नति के प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

2- उल्लेखनीय है कि पोर्टल की दिनांक 01.02.2025 की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि पोर्टल पर कुल पंजीकृत 831844 अधिकारियों / कर्मचारियों के सापेक्ष कुल 593873 अधिकारियों / कर्मचारियों (कुल पंजीकृत कार्मिकों का मात्र 71 प्रतिशत) द्वारा अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत किया गया है। शासन के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में कार्मिकों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज न किया जाना खेदजनक है तथा शासन के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारी / कर्मचारी तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों / उपक्रमों के अधिकारियों / कर्मचारियों के हितो को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 31.01.2025 से बढ़ाकर दिनांक 15.02.2025 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- कृपया पोर्टल पर पंजीकृत कार्मिकों की संख्या / डाटा की शुद्धता विभाग स्तर पर समीक्षा करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कार्यालयों का सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 15.02.2025 तक अपना सम्पत्ति विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रोन्नति के प्रकरणों पर एक चयन वर्ष के उपरान्त ही नियमानुसार विचार किया जाएगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, विधानसभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीलस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
13. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।
14. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।